समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 30 September 2026

हरिद्वार मे संाध्वी महामंडलेश्वर पर जालसाजी का मुकदमा, फर्जी ट्रस्ट बनाने का आरोप

Publisher

Published on 28 Oct 2025

हरिद्वार से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक साध्वी महामंडलेश्वर पर **जालसाजी और फर्जीवाड़े का आरोप** लगा है। शिकायतकर्ता का दावा है कि साध्वी के नाम और पते का **फर्जी इस्तेमाल कर एक ट्रस्ट बनाया गया**। इस मामले में शिकायतकर्ता ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है और जांच जारी है।

सूत्रों के अनुसार, शिकायतकर्ता ने बताया कि इस ट्रस्ट की स्थापना और उसके दस्तावेज़ों में साध्वी महामंडलेश्वर का नाम और पता गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि इस फर्जी ट्रस्ट का उद्देश्य **धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का दुरुपयोग** कर लाभ कमाना था। इस पूरे प्रकरण ने धार्मिक और सामाजिक समुदाय में हलचल पैदा कर दी है।

हरिद्वार पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारीयों ने बताया कि यह मामला **धार्मिक व्यक्तियों के नाम का दुरुपयोग और धोखाधड़ी** से संबंधित है, और इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस अब ट्रस्ट के दस्तावेज़, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य कानूनी कागजात की जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि यह ट्रस्ट वास्तविक था या पूरी तरह फर्जी था।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामले धार्मिक विश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकते हैं। जब किसी धर्मगुरु या साध्वी का नाम किसी फर्जी काम में इस्तेमाल होता है, तो न केवल उनका सम्मान घटता है बल्कि जनता के विश्वास पर भी असर पड़ता है। इस मामले ने यह स्पष्ट कर दिया कि **धार्मिक संस्थाओं और ट्रस्टों की पारदर्शिता और कानूनी निगरानी** आवश्यक है।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उन्हें इस फर्जी ट्रस्ट के माध्यम से किए गए लेन-देन और दुरुपयोग की जानकारी तब मिली जब उन्होंने खुद दस्तावेजों की जांच की। उन्होंने कहा कि साध्वी महामंडलेश्वर के नाम का इस्तेमाल बिना उनकी अनुमति के किया गया, और यह स्पष्ट जालसाजी है।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि अभी शुरुआती जांच चल रही है, और उन्होंने ट्रस्ट के गठन, उसके सदस्यों और वित्तीय गतिविधियों की पूरी छानबीन करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का कोई नुकसान न हो।

इस मामले को लेकर हरिद्वार और आसपास के धार्मिक समुदाय में भी चर्चा तेज हो गई है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैसे किसी का नाम और पहचान फर्जी ट्रस्ट बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। इससे यह भी सवाल उठता है कि **धार्मिक ट्रस्टों की पंजीकरण प्रक्रिया और निगरानी प्रणाली मे सुधार की जरूरत है**।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में शिकायतकर्ता के पास पर्याप्त सबूत होने पर ट्रस्ट के गठन की वैधता को चुनौती दी जा सकती है। अदालत में इस तरह के मामले में ट्रस्ट के वास्तविक उद्देश्य, दस्तावेज़ों की सत्यता और किसी भी वित्तीय लाभ की जांच की जाती है।

साध्वी महामंडलेश्वर ने फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि साध्वी इस मामले से स्वयं भी **चौंकित और आहत** हैं। उनका कहना है कि उनका नाम और पहचान किसी भी अवैध या फर्जी गतिविधि में इस्तेमाल नहीं हो सकती।

विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि धार्मिक नेताओं और साध्वियों का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करना केवल कानूनी अपराध ही नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास और आस्था का भी उल्लंघन है। इस प्रकार के मामले समाज में **धार्मिक विश्वास और नैतिकता के प्रति चेतना** जगाने का एक अवसर भी प्रदान करते हैं।

इस घटना से यह भी स्पष्ट हो गया है कि **धार्मिक संस्थाओं और ट्रस्टों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानूनी कदम उठाने की आवश्यकता है।** जब किसी साध्वी या साधु का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, तो न केवल उनके व्यक्तिगत सम्मान को नुकसान पहुंचता है, बल्कि आम जनता का धार्मिक विश्वास भी प्रभावित होता है।

अंततः, हरिद्वार में दर्ज यह मामला न केवल साध्वी महामंडलेश्वर और उनके अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे समाज और धार्मिक संगठनों के लिए **सावधानी और जागरूकता** का संदेश भी देता है। पुलिस की जांच और कानूनी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को दंडित किया जाए और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए भविष्य में **सख्त उपाय लागू हों।**

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.